उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

//ज्ञापन//

क्रमांक D/1019/चार–12–5/2023 जबलपुर, दिनांक 27/02/2023

प्रति,

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
(म.प्र. राज्य के........समस्त)

विषयः– मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं(वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन निर्धारण किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये जाने बावत्।

––00––

रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक बी/934/चार–12–5/2023 दिनांक 08.02.2023 के उपरोक्त विषय के संबंध में लेख है कि:–

1. जो न्यायिक अधिकारी दिनांक 01.01.2016 के पश्चात् उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नत हुये है का, पुनरीक्षित वेतन निर्धारण दिनांक 01.01.2016 की स्थिति में जिस स्थापना पर पदस्थ रहे हो उस स्थापना द्वारा म.प्र. न्यायिक सेवा का पुनरीक्षित वेतन का निर्धारण उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नत दिनांक तक किया जायेगा तत्पश्चात् उच्चतर न्यायिक सेवा का पुनरीक्षित वेतन निर्धारण रजिस्ट्री द्वारा किया जावेगा?

2. ऐसे न्यायिक अधिकारी जो दिनांक 01.01.2016 के पूर्व उच्चतर न्यायिक सेवा में नियुक्ति/पदोन्नत हुये है उनका विकल्प सीधे रजिस्ट्री को भेजा जावेगा तथा उनका वेतन निर्धारण भी रजिस्ट्री द्वारा किया जाएगा।

3. जो न्यायिक अधिकारी दिनांक 01.01.2016 के पूर्व म.प्र. न्यायिक सेवा में नियुक्ति हुये है तथा दिनांक 01.01.2016 के पश्चात् उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नत हुये है ऐसे न्यायिक अधिकारीगणों का विकल्प उसी स्थापना को प्रेषित किया जावेगा जहॉ पर वे दिनांक 01.01.2016 को पदस्थ रहे हैं।

27/2/23

(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार(प्रशासन)

पृ0 क्रमांक D/1020/चार–12–5/2023 जबलपुर, दिनांक 27/02/2023

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय,(म.प्र. राज्य के........समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र.खण्डपीठ,इन्दौर/ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
4. संचालक,म0प्र0 राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

27/2/23

रजिस्ट्रार(प्रशासन)

डेमन